कोरोना–19
अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः आईडीएसपी/कोरोना/2021–22/195 दिनांकः 28/04/21

समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज,
समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान।

विषय :– कोविड–19 रोगियों के अस्पताल से डिस्चार्ज करने के क्रम में।

सन्दर्भ :– भारत सरकार द्वारा दिनांक 08.05.22020 एवं दिनांक 10.05.2020 को डिस्चार्ज पॉलिसी के क्रम में।

MoHFW, GoI द्वारा Covid-19 रोगियों हेतु जारी की गई डिस्चार्ज पॉलिसी दिनांक 8.05.2020 के अनुसार गाईडलाईन की अनुपालना सुनिश्चित करें :–

1. Asymptomatic, very mild or pre-symptomatic cases:

a) उपरोक्त वर्ग के सभी रोगियों को होम आईसोलेशन में रखने का प्रावधान है तथा यदि गत 03 दिवस में रोगी को बुखार नहीं रहता है, ऐसे रोगी को 10 दिन बाद डिस्चार्ज किया जाना चाहिए तथा **होम आइसोलेशन रोगी को डिस्चार्ज करने से पूर्व आरटीपीसीआर टेस्ट की आवश्यकता नहीं है।**

2. Moderate Cases :

a) मध्यम श्रेणी के रोगी जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है तथा उपचारित कने के पश्चात् विगत् 03 दिवस में रोगी को बुखार नहीं है तथा ऑक्सीजन सर्पोट की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसे रोगियों को 10 दिवस पश्चात् डिस्चार्ज किया जा सकता है। **रोगी को डिस्चार्ज से पूर्व RTPCR जांच की आवश्यकता नहीं है।**

3. Severe Cases :

a) गंभीर श्रेणी के रोगियों को उपचार उपरान्त यदि रोगी स्वस्थ हो गया है (Recovered from All Clinical Symptoms) एवं एक RTPCR Test Report Negative आ गई है तो उसे अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है।

उपरोक्त सभी श्रेणियों के रोगियों को डिस्चार्ज करने के उपरान्त भी होम आईसोलेशन में रहते हुए अपने स्वास्थ्य पर न्यूनतम 07 दिवस तक निगरानी रखने की आवश्यकता हेतु अवगत करावें।

कोविड–19 रोगियों को डिस्चार्ज से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 08 मई, 2020 एवं 10 मई, 2020 जारी की गई डिस्चार्ज पॉलिसी संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

Scanned with CamScanner

क्रमांकः आई.डी.एस.पी./2021/ दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वास्थ्य), मुख्यालय।
4. अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0), मुख्यालय।
5. नोडल अधिकारी (आईडीएसपी), मुख्यालय।
6. समस्त संयुक्त निदेशक।
7. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी मुख्यालय।
8. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
9. प्रभारी सर्वर रूम को संबंधित को ई–मेल एवं वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
10. कार्यालय प्रति।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

Scanned with CamScanner